जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर की 16 वीं बोर्ड बैठक (परिचालन के माध्यम से) का कार्यवृत्त।

मद संख्या–01 :–

श्री मनीन्द्र सिंह कोश्यारी, सचिव देवभूमि शिक्षा प्रचार समिति द्वारा ग्राम खगरिया तहसील रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के खसरा नं0 222 के रकबा–1.9437 है0 भूमि मे देवस्थली विद्यापीठ इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के नाम से जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर से स्वीकृत कराये गये भवन मे अतिरिक्त रूप से कराये गये निर्माण को मेडिकल (नर्सिंग) कॉलेज के रूप मे शमन के साथ स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र संख्या–USN/SC/0011/2022-23 हेतु वांछित मार्ग की चौडाई में शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।

श्री मनीन्द्र सिंह कोश्यारी, सचिव देवभूमि शिक्षा प्रचार समिति द्वारा ग्राम खगरिया तहसील रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के खसरा नं0 222 के रकबा–1.9437 है0 भूमि मे देवस्थली विद्यापीठ इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के नाम से जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर से स्वीकृत कराये गये भवन मे अतिरिक्त रूप से कराये गये निर्माण को मेडिकल (नर्सिंग) कॉलेज के रूप मे शमन के साथ स्वीकृत कराये जाने हेतु ऑनलाईन मानचित्र संख्या–USN/SC/0011/2022-23 प्रस्तुत किया गया है।

प्रचलित भवन उपविधि के मानकों के अनुसार प्रोफेशनल कॉलेज हेतु न्यूनतम 18.00 मी0 चौड़ा पहुँच मार्ग होना आवश्यक है जबकि उक्त स्थल पर विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 6.10 मी0 है। प्रश्नगत प्रकरण में मार्ग की चौडाई मानकों के अनुरूप उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में सूचित किया गया। आवेदक द्वारा अपने पत्र संख्या–DSPS/R/127/2023 दिनांक–19.03.2023 द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनकी सम्पत्ति के सामने पहुँच मार्ग की चौड़ाई 6.10 मी0 ही है एवं इस मार्ग के चौड़ा होने की सम्भावना नहीं है, यह भी उल्लेख किया गया है कि भवन का निर्माण जिला पंचायत, ऊधमसिंहनगर से स्वीकृत कराकर प्राधिकरण के अस्तित्व मे आने से पहले हो चुका था। उक्त समय मे जिला पंचायत के द्वारा वर्तमान सड़क के मानक पर ही मानचित्र पास किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त विद्यालय मे पूर्व से विभिन्न रोजगार परक कोर्स चलाये जा रहे हैं, जिसमे सुदूर पर्वतीय एवं सीमान्त क्षेत्रों के बच्चों को रोजगार परक कोर्स का अध्ययन कराया जा रहा है। पर्वतीय एवं तराई क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों मे जो बच्चे महानगरों मे जाकर महंगी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे छात्र यहाँ पर रोजगार परक पाठ्यकमों को बहुत ही निम्न शुल्क मे पढ़ पा रहे हैं। प्रदेश मे रोजगार के सीमित संशाधनों को बढ़ाने मे उक्त शिक्षा का काफी महत्व है, जिसमे वीरान होते हुए पर्वतीय एवं ग्रामीण ऑचलों मे पलायन का दंश कम किया जा सके।

आवेदक द्वारा पुनः एक पत्र दिनांक–25.03.2023 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2023–24 के लिये नर्सिंग पाठ्यकम आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक–30.03.2023 है तथा आवेदन के साथ भवन के स्वीकृत मानचित्र भी अपेक्षित है। यदि मानचित्र स्वीकृति प्राप्त नही होती है। तो उन्हे नर्सिंग पाठ्यकम शुरू करने के लिये अनुमति प्राप्त नही होगी। पत्र द्वारा पहुँच मार्ग हेतु प्राधिकरणों के मानको मे शिथिलता प्रदान करते हुए वर्तमान 6.10 मी0 चौड़े पहुँच मार्ग पर ही प्रस्तुत शमन मानचित्र स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–1311 दिनांक–26.07.2021 मे भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2016 के मानको मे शिथिलीकरण की अधिकारिता निम्नवत् निर्धारित है :–

1. 25 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार सम्बंधित स्थानीय विकास प्राधिकरण बोर्ड मे निहित होगा।
2. 25–50 प्रतिशत तक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एव नगर विकास प्राधिकरण के बोर्ड मे निहित होगा।
3. 50 प्रतिशत से अधिक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार राज्य सरकार मे निहित होगा।

कमशः–02 पर

27.03.2023

प्रस्तुत प्रस्ताव हेतु प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार न्यूनतम 18.00 मी0 चौड़ा पहुँच मार्ग होना आवश्यक है। स्थल पर विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 6.10 मी0 है, जो कि अपेक्षित चौड़ाई से 66.12 प्रतिशत कम है। प्रश्नगत स्थल का पूर्व मे मानचित्र संख्या–9517/राजस्व/2015–16 दिनांक–28.03.2016, जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–09/राजस्व/2015–16 दिनांक–02.04.2016 मे उल्लेख किया गया है कि देवस्थली विद्यापीठ इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का शैक्षणिक भवन निर्मित हो चुका है, जो शिक्षण कार्य मे प्रयोग लाये जाने हेतु तैयार है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 मे ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अस्तित्व मे नही था। प्राधिकरण का गठन शासनादेश संख्या–1811 दिनांक 13.11.2017 को हुआ है। वर्तमान मे भी उक्त क्षेत्र शासनादेश संख्या–626 दिनांक–17.03.2021 के अनुसार स्थगित क्षेत्रान्तर्गत है। आवेदक द्वारा स्वेच्छा से शमन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि प्रश्नगत भवन निर्मित एवं वर्तमान मे शैक्षणिक कार्य हेतु उपयोग मे लाया जा रहा है एवं प्रश्नगत विद्यमान मार्ग के दोनो ओर निजी स्वामित्व की भूमि है, जिस कारण विद्यमान मार्ग की चौड़ाई मे वृद्धि की सम्भावना नहीं है। आवेदक के लिखित कथन एवं जिला पंचायत स्तर से स्वीकृत किये गये मानचित्र के दृष्टिगत वर्तमान में विद्यमान 6.10 मी0 चौडे मार्ग पर प्रस्तुत उक्त शमन प्रस्ताव के आलोक में जांच पर यह पाया गया कि मेडिकल नर्सिंग कॉलेज हेतु प्रचलित भवन उपविधि के मानकों के अनुसार 18 मी0 चौडा मार्ग होना आवश्यक है, परन्तु स्थल पर 6.10 मी0 चौडाई में ही मार्ग उपलब्ध है, जो कि मानक से 66.12% कम है। मार्ग की चौडाई भवन उपविधि के अनुरूप न होने के कारण प्रश्नगत निर्माण को शमन किये जाने में कठिनाई को देखते हुये यह आवश्यक है कि मार्ग की निर्धारित चौडाई के मानक में शिथिलता प्राप्त हो । चूँकि मार्ग की चौडाई मानक से 50% से अधिक कम है। शासनादेश संख्या–1311 दिनांक–26.07.2021 के अनुसार भवन उपविधि के मानकों में 50% से अधिक की शिथिलता अनुमन्य करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम,
देहरादून।

28/03/2023

मुख्य नगर एवं ग्राम
नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन
विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून

27.03.2023

सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

28.3.2023

सचिव,
आवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

नगर आयुक्त,
नगर निगम रूद्रपुर,
ऊधमसिंह नगर

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
ऊधमसिंह नगर

28/3/23

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर

अध्यक्ष/आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल,
नैनीताल।